ALL INDIA GOVERNMENT DRIVER'S FEDERATION

(Regd. No. S/00927 NE/2012/Dt. 13.06.12) Regd. Add. : B-8, Shastri Gali, Vill. Dayal Pur, N.D.-110094

(Recognised by All States/Union Territories Vide Their Individual Affiliated State Govt.)

President:
Rampher Pandey
(M) 9450018863
1/A, PWD Colony, 96, M.G. Marg,
Engg-in-Chief Complex
Opp. Raj Bhawan,
Lucknow-226001 (U.P.)

Secretary General
Narender Singh (Delhi)
(M) 9210274309
Off. Tel. No. : 23378128
Email : aigdf16@gmail.com
Web.: www.aigdf.org

Ref. No. AIGDF/2020/106-113

Date : 15.10.2020

श्री नवीन कुमार, चालक,
हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
पंचकूला, हरियाणा ।

आपका पत्र सं. शून्य दिनांक शून्य जो कि फेडरेशन के पत्र दिनांक 18–09–20 के संदर्भ में पंजीयन अधिकारी (दिल्ली) को संबोधित है जिसकी प्रतियॉ अन्यो के साथ–साथ पंजियन अधिकारी और कम संख्या 6 पर नरेन्द्र सिहँ, चालक, बाट–माप विभाग दिल्ली सरकार को भी भेजी गई है । पत्र को पढने से महसूस हुआ कि कथित पत्र किसी असभ्य और अशिक्षित व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया है जिसे इतना भी ज्ञात नही की जिस अधिकारी को पत्र संबोधित किया जाता है उसे कभी भी संबंधित पत्र की प्रति उस अधिकारी को नही भेजी जाती है । उक्त पत्र में समस्त वर्णित उल्लेख मनघढ़ंत, गैरकानूनी अस्पष्ट, झूठ व तथ्यों से परे है उनको पूर्ण रूप से नकारा जाता है ।

फेडरेशन और मैनें 04 जनवरी 20 को हुये चुनाव की पूरी रिर्पोट नाप तोल विभाग को भेज कर वस्तु स्थिति से अवगत करा दिया है । आप स्वंम भारत के चालकों के साथ विश्वासघात कर रहे है जैसाकि आप स्वमं 04 जनवरी 20 के चुनाव में फेडरेशन के निर्विरोध कोषाध्यक्ष निर्वाचित किये गये थे परन्तु आपकी गतिविधियां शुरू से ही फेडरेशन विरोधी और संदिग्ध रही, क्योकि आपने अनैतिक और असंवैधानिक संगठन का साथ देते हुये श्री मिलनराज बंशी (नागालेण्ड), के कहने से फेडरेशन के नाम पर सदस्यों से पैसा इक्ठठा किया गया जिसकी जानकारी फेडरेशन कार्यालय को आज तक नही दी गई और ना ही इक्ठठा किया गया पैसा फेडरेशन के बैंक खाते में जमा कराया ।

आप ने श्री मिलनराज बंशी (नागालेण्ड), और श्री संदीप कुमार मोर्य (उतराखण्ड), के साथ मिलकर दिनांक 01–10–2020 को "ऑल इण्डिया गर्वमेन्ट ड्राइवर्स कन्फेडरेशन" गठित किया है । श्री मिलनराज बंशी (नागालेण्ड), और श्री संदीप कुमार मोर्य (उतराखण्ड), को फेडरेशन ने दिनांक 02–07–2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसका वे आज तक संतोष जनक जवाब नही दे पाये है और अपने चालक साथियो को गुमराह करने के लिये नया असंवैधानिक कन्फेडरेशन उस पते पर बनाया है जिस पते पर पहले ही फेडरेशन कार्यालय रजिस्टर्ड है । आप स्पष्ट करे कि आप द्वारा गठित कन्फेडरेशन किन नियमों के तहत और किन–किन फेडरेशन सदस्यों के साथ मिला कर गठित की गई है । आप फेडरेशन की जानकारी हेतू उक्त

Scanned with CamScanner

असंवैधानिक कन्फेडरेशन से पंजीकरण से संबंधित समस्त दस्तावेज और उप–नियम की प्रति फेडरेशन को सात दिन के भीतर उपलब्ध कराये अन्यथा आपके और आपके अन्य साथियों के विरूद्ध सोसाइटी एक्ट के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है । फेडरेशन के नाम पर इक्ठठे किये गये पैसे का विवरण और गैरकानूनी कन्फेडरेशन के संबंधित समस्त दस्तावेज फेडरेशन को उपलब्ध कराये ।

आप द्वारा हस्ताक्षरित ऑल हरियाणा गर्वमेन्ट/सेमी गर्वमेन्ट ड्राइवर्स ऐसोसिएशन का पत्र दिनांक 09–10–20 प्राप्त हुआ जो कि पूर्ण रूप से असंवैधानिक एवं व्यक्तिगत है । आप इस पत्र की पुष्टी करते हुये ऑल हरियाणा गर्वमेन्ट/सेमी गर्वमेन्ट ऐसोसिएशन की कार्यकारिणी ऐजेन्डा और कार्यवाही की प्रति फेडरेशन को प्रेषित करे जिससे ऑल हरियाणा गर्वमेन्ट/सेमी गर्वमेन्ट ऐसोसिएशन के प्रस्ताव पर उचित कार्यवाही की जा सके ।

(नरेन्द्र सिहँ)
महासचिव

प्रतिलिपि प्रेषित :–

1. श्री रामफेर पाण्डेय, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इण्डिया गर्वमेन्ट ड्राइवर्स फेडरेशन
2. संस्था पंजीयक (उतर पूर्व), दिल्ली सरकार, उपायुक्त कार्यालय, नंद नगरी, दिल्ली–92
3. संस्था पंजीयक (सेन्ट्रल), दिल्ली सरकार, उपायुक्त कार्यालय, दरिया गंज, दिल्ली ।
4. सचिव, नाप तोल विभाग, विकास भवन, नई दिल्ली, सूचनार्थ ।
5. आयुक्त, दिल्ली पुलिस, दिल्ली, उचित कार्यवाही हेतू ।
6. मुख्य प्रशासक, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, सेक्टर 6, पंचकूला, हरियाणा–134109 को इस अनुरोध के साथ श्री नवीन कुमार के विरूद्व धोखा–धडी विश्वास घात और असंवैधानिक कार्यो के विरूद्व दण्डात्मक और अनुशासत्मक कार्यवाही कर फेडरेशन को अवगत कराये ।
7. भारत की समस्त राजकीय वाहन चालक समितियों/संघो/महासंघो को व्हाट्एप और फेडरेशन की वेबसाईट www.aigdf.org के माध्यम से ।

नरेन्द्र सिंह
15-10-20
महासचिव

Scanned with CamScanner